प्रेषक,

आयुक्त,
आगरा मण्डल,
आगरा।

सेवामें,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र–2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रॉक / शि0स0 / एन0ओ0सी0 / /2009–2010 दिनॉक 02-12-09

विषयः– सुदिति ग्लोबल एकेडमी, देवी बांईपास रोड़, नगरिया (मैनपुरी) को सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजाज्ञा संख्या / 1916 (1) / 15–7–09–1 / (299) / 2007 दिनॉक 14 जुलाई, 2009 के अनुपालन में मण्डलीय समिति की बैठक दिनॉक 12–11–2009 में लिये गये निर्णयानुसार उक्त सन्दर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं हैः–

(1) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(2) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में संबंधित जिले का जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य होगा।

(3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / जन जाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेगें और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् / बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मॉग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली / कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें।

(5) संस्था के शैक्षिक एवें शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें।

(6) कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।

(7) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उनका पालन करेगी।

(8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(9) विद्यालय में अग्निशमन यंत्र स्थापित कर अग्निशमन अधिकारी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे।

(10) नेशनल बिल्डिग कोड में प्राविधानित सुरक्षा मानकों का प्रमाण–पत्र सम्बन्धित अभियन्ता से प्राप्त कर लिया जाय।

(11) उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन /संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

2– उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(राधा एस0 चौहान)
आयुक्त
आगरा मण्डल, आगरा

कार्यालय मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा मण्डल, आगरा।

पृ0सं0/शि0स0/एन0ओ0सी0/7492-98/2009–2010 तद्‌दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवॅ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, (मा0शि0), उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा–7 अनुभाग लखनऊ।
2– शिक्षा निदेशक (मा0) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3– जिलाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
4– जिला विद्यालय निरीक्षक, सम्बन्धित जनपद।
5– निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6– प्रबन्धक, सम्बन्धित विद्यालय।
7– गार्ड फाइल।

(संजय यादव)
मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक
आगरा